

प्रेषक,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।

सेवा में,

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक : प्रबन्ध-02/2752 / विजिटिंग शिक्षक / 2015-16 दिनांक 22 जून, 2015

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं प्रवक्ताओं के अल्पकालीन रिक्त पदों पर निर्तान्त अस्थायी रूप से विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था हेतु जनसामान्य के अवलोकनार्थ विभागीय वैबसाइट में प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक/सेवाये-2/8309-11/विजिटिंग शिक्षक/ 2015-16 दिनांक 22 जून, 2015 के अनुपालन में जनपद टिहरी गढ़वाल के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं प्रवक्ताओं के अल्पकालीन रिक्त पदों पर निर्तान्त अस्थायी रूप से विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था हेतु विज्ञापन दिनांक 17 जून 2015 के अमर उजाला समाचार पत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। विकासखण्डवार महिला एवं सामान्य शाखा में विषयवार सूचना तैयार कर पूल गठित किये जाने हेतु विस्तृत विज्ञापन आपकी सेवा में इस निवेदन के साथ प्रेषित कि जनसामान्य के अवलोकनार्थ विभागीय वैबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) में अपलोड/प्रदर्शित करवाने की कृपा करेंगे।

संलग्न-विज्ञापन तीन पेज

भवदीय  
  
मुख्य शिक्षा अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर

## कार्यालय, मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढवाल

जनपद के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी० एवं प्रवक्ताओं के पदों पर अल्पकालीन शिक्षण हेतु नितान्त अस्थायी रूप से विजिटिंग शिक्षकों का पूल गठित किये जाने हेतु विज्ञप्ति।

विज्ञापन संख्या— ०१ | २०१५-१६ | दिनांक १६. ०६. २०१५

शासनादेश संख्या—151 / XXIV—नवसृजित / 2015-07(2) / 14 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग— नवसृजित दिनांक 13 अप्रैल, 2015 यथा संशोधित शासनादेश संख्या—307 / XXIV—नवसृजित / 2015-07 (02) / 14 दिनांक 08 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या—389 / XXIV—नवसृजित / 2015-07 (02) / 14 दिनांक 27 मई, 2015 के क्रम में जनपद ~~टिहरी~~ के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विषयों में सहायक अध्यापक एल0टी० एवं प्रवक्ताओं के पदों यथा मातृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश, चिकित्सावकाश आदि के कारण इन पदों पर छात्रहित / जनहित में निम्नलिखित विकास खण्डों में नितान्त अस्थायी व्यवस्था हेतु विजिटिंग शिक्षकों का एक पूल गठित किया जाना है :—

### (अ) स०अ०एल०टी० संवर्ग

क्र०सं ०	विकास खण्ड का नाम व कार्यालय का पता	शाखा	विषय जिनमें पूल गठित किया जाना है।
1	भिलंगना—खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय घनसाली	महिला	सामान्य, अंग्रेजी, विज्ञान,
		सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम, वाणिज्य,
2	चम्बा—खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय चम्बा	महिला	अंग्रेजी, गणित, व्यायाम, सामान्य, हिन्दी,
		सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम, वाणिज्य, संस्कृत, गृह विज्ञान,
3	देवप्रयाग—खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय हिंडोलाखाल	महिला	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान,
		सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम, वाणिज्य
4	जाखणीधार—खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जाखणीधार	महिला	अंग्रेजी, विज्ञान,
		सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम, गृह विज्ञान
5	जौनपुर—खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय थत्यूड़	महिला	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, व्यायाम,
		सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम, वाणिज्य,
6	कीर्तिनगर—खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कीर्तिनगर	महिला	हिन्दी, विज्ञान, अंग्रेजी,
		सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम, वाणिज्य,
7	नरेन्द्रनगर (फकोट) — खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय फकोट	महिला	संस्कृत,
		सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम,
8	प्रतापनगर (लम्बगांव)—खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय लम्बगांव	महिला	विज्ञान, कला, गृह विज्ञान,
		सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम, वाणिज्य,
9	थौलधार—खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कण्डीसौँड छाम	महिला	अंग्रेजी, गणित,
		सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम, गृह विज्ञान

8  
21

7

### (ब) प्रवक्ता संवर्ग

क्रंसं 0	विकास खण्ड का नाम व कार्यालय का पता	शाखा	विषय जिनमें पूल गठित किया जाना है।
1	भिलंगना—खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय	महिला	——
		सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिकशास्त्र, अर्थ शास्त्र, इतिहास भूगोल, समाज शास्त्र
2	चम्बा—खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय	महिला	हिन्दी, रसायन विज्ञान,
		सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिकशास्त्र, अर्थ शास्त्र, इतिहास भूगोल, वाणिज्य, कम्प्यूटर विज्ञान।
3	देवप्रयाग—खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय	महिला	हिन्दी, इतिहास
		सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिकशास्त्र, अर्थ शास्त्र, इतिहास भूगोल,
4	जाखणीधार—खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय	महिला	——
		सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिकशास्त्र, अर्थ शास्त्र, इतिहास भूगोल,
5	जौनपुर—खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय	महिला	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, नागरिकशास्त्र, अर्थ शास्त्र, भूगोल
		सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिकशास्त्र, अर्थ शास्त्र, इतिहास भूगोल,
6	कीर्तिनगर—खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय	महिला	——
		सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिकशास्त्र, अर्थ शास्त्र, इतिहास भूगोल,
7	नरेन्द्रनगर (फकोट) — खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय	महिला	हिन्दी, गणित, नागरिकशास्त्र
		सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिकशास्त्र, अर्थ शास्त्र, इतिहास भूगोल,
8	प्रतापनगर (लम्बगांव)—खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय	महिला	अंग्रेजी, भूगोल
		सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिकशास्त्र, अर्थ शास्त्र, इतिहास भूगोल, समाज शास्त्र
9	थौलधार—खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय	महिला	——
		सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिकशास्त्र, अर्थ शास्त्र, इतिहास भूगोल,

सम्बन्धित विकासखण्ड में निवासरत इच्छुक अभ्यर्थी, जो सहायक अध्यापक एल०टी० हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नोतक श्रेणी) सेवा नियमावली—2014 यथा प्रथम संशोधित—2014 एवं प्रवक्ता वेतनक्रम हेतु उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) नियमावली—2008 के प्राविधानानुसार शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हताधारी हों, से स०अ०एल०टी० संवर्ग एवं प्रवक्ता संवर्ग में अल्पकालीन अवधि के शिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पूल हेतु संख्या का निर्धारण शिक्षकों के वार्षिक स्थानान्तरण के बाद किया जायेगा।

- आयु सीमा :— अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-07-2014 को न्यूनतम 21 एवं अधिकतम् 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी।
- आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

m

3. आवेदन पत्र का प्रारूप, संबंधित सेवा नियमावली एवं उक्तांकित शासनसादेश विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की विभागीय वैबसाइट [www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वैबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय/खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
4. इच्छुक/अर्ह अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पूर्ण कर वांछित समस्त अभिलेख संलग्न कर पंजीकृत पत्र/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निवासरत खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त शासनादेशों के प्राविधानों के तहत अपने विकास खण्ड के अन्तर्गत अल्पकालीन अवधि में शिक्षण हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की मेरिट/प्रवीणता सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का विषयवार एक पूल गठित किया जायेगा, जो जनपद स्तर पर गठित स्क्रीनिंग समिति से अनुमोदित होगा। गठित पूल से चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय विशेष में अल्पकालीन अवधि में विजिटिंग शिक्षक के रूप में शिक्षण हेतु नितान्त अस्थाई व्यवस्था के रूप में शासनादेश में विहित प्राविधानों के अनुसार भेजा जायेगा तथा नियमित अध्यापक के विद्यालय में वापस आने/उपस्थित होने पर ऐसे अभ्यर्थी पूल में वापस प्रत्यावर्तित हो जायेंगे पुनः आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित प्राविधानानुसार उन्हें अन्यत्र विद्यालय में भेजा जा सकता है।
6. महिला शाखा में मात्र महिला अभ्यर्थी एवं सामान्य शाखा में पुरुष/महिला दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
7. अभ्यर्थी द्वारा अपने निवासरत विकास खण्ड हेतु ही आवेदन किया जायेगा।
8. नितान्त कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में चयनित अभ्यर्थी के सम्बन्धित विद्यालय में कार्य एवं व्यवहार सन्तोषजनक न होने व अन्य कारणों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य की संस्तुति पर मुख्य शिक्षा अधिकारी की अनुमति से सम्बन्धित अभ्यर्थी को विद्यालय/विकासखण्ड हेतु गठित पूल से पृथक कर दिया जायेगा।
9. विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था हेतु चयनित अभ्यर्थी द्वारा संबंधित विद्यालय में योगदान देने से पूर्व खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जायेगा तथा अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अनुबन्ध पत्र सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य को प्रस्तुत किया जायेगा।
10. उक्त व्यवस्था नितान्त कामचलाऊ एवं छात्रहित/जनहित में की जा रही है, फलस्वरूप गठित पूल में चयनित अभ्यर्थी का नियमित नियुक्ति/विनियमितीकरण एवं अन्य किसी प्रकार के अधिमान हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।
11. अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट हस्तालिपि में एवं पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र (समस्त संलग्नकों सहित) 9" x12" के लिफाफे में रखकर संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के उक्त पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से प्रेषित करेंगे। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर "विजिटिंग शिक्षक हेतु आवेदन पत्र, विज्ञापन संख्या एवं आवेदित पद/विषय/शाखा अवश्य अंकित की जाय। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 16.07.2015 के सांय 5.00 तक है, इसके उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। विज्ञापन एवं आवेदन पत्र विभागीय वैबसाइट [www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है।

आज्ञा से

मुख्य शिक्षा अधिकारी टिटू  
नरेन्द्रनगर

**राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 संवर्ग में अल्पकालीन  
शिक्षण के लिए विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र**

<p>1. विज्ञापन संख्या—.....</p> <p>2. आवेदित विकास खण्ड का नाम ..... जनपद .....</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;"> <p>पासपोर्ट साइज की नवीनतम रूप्रप्रमाणित फोटो चर्चा करें</p> </div>																										
<p>3. आवेदित विषय का नाम : ..... शाखा—महिला / सामान्य .....</p>																											
<p>4. भृत्यर्थी का नाम : ..... लिंग: महिला / पुरुष .....</p>																											
<p>5. पिता / पति का नाम : .....</p>																											
<p>6. जन्मतिथि : (अंकों में) (शब्दों में).....</p>																											
<p>7. दिनांक 01—जुलाई, 2014 को आयु : वर्ष ..... माह ..... दिन .....</p>																											
<p>8. उत्तराखण्ड राज्य के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संख्या व दिनांक (प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)</p>																											
<p>9. गृह जनपद : .....</p>																											
<p>10. पत्र व्यवहार का पता : .....</p>																											
<p>11. स्थाई पता : .....</p>																											
<p>12. अन्वयित विकासखण्ड में निवासस्थान रहने का साक्ष्य / प्रमाण .....</p> <p>(सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)</p>																											
<p>13. जाति (अनु०जाति, अनु०संघित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग)..... (सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)</p>																											
<p>14. फोन नं० ..... मोबाइल नं० : .....</p>																											
<p>15. शैक्षिक योग्यता :—(समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधियों की सत्यापित छायाप्रतियाँ संलग्न करें)</p>																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">क्र० सं०</th> <th style="text-align: center;">परीक्षा का नाम</th> <th style="text-align: center;">विषय</th> <th style="text-align: center;">बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम</th> <th style="text-align: center;">वर्ष</th> <th style="text-align: center;">प्राप्ताक</th> <th style="text-align: center;">पूर्णांक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">हाइरकूल</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">इण्टरमीडिएट</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							क्र० सं०	परीक्षा का नाम	विषय	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	प्राप्ताक	पूर्णांक	1	हाइरकूल						2	इण्टरमीडिएट					
क्र० सं०	परीक्षा का नाम	विषय	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	प्राप्ताक	पूर्णांक																					
1	हाइरकूल																										
2	इण्टरमीडिएट																										

3	सनातक— प्रथम वर्ष —द्वितीय वर्ष				
	—तृतीय वर्ष				
	योग :-				
4	टी०इ०टी०-॥				
5	प्रशिक्षण   लिखित (शी०ए३० / एल०टी०)	क्रियाल्पक			

### घोषणा

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....

घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि :-

- मेरे द्वारा स०अ०एल०टी० पद पर अल्पकालीन अवधि में शिक्षण हेतु विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था विषयक निर्धारित समस्त शासनादेश ध्यानपूर्तक पढ़ लिये गये हैं तथा इस संदर्भ में जो भी नियम लागू होंगे, वह मुझे पूर्णतया मान्य हैं।
- मेरे द्वारा प्रदेश के एक मात्र उक्त निवासारत विकास खण्ड में ही विजिटिंग शिक्षक हेतु आवेदन किया गया है।
- उपरोक्त आवेदन पत्र में मेरे द्वारा सभी प्रविष्टियाँ सही व सत्य भरी गयी हैं। यदि भविष्य में उपरोक्त लिखित कोई भी जानकारी या तथ्य मिथ्या या गलत अथवा फर्जी पाए जाते हैं या मैं कोई प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पाता/पाती हूँ या प्रमाण पत्र में कोई भी त्रुटि हो, तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय तथा मेरा नाम विजिटिंग शिक्षकों हेतु गठित पूल सूची से पृथक करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
- विजिटिंग शिक्षकों हेतु गठित पूल सूची में चयन होने की दशा में मेरे द्वारा निर्धारित अनुबन्ध प्रस्तुत किया जायेगा एवं अनुबन्ध की शर्तों का पालन किया जायेगा।

दिनांक :.....

संलग्नक—.....

हस्ताक्षर—

अभ्यर्थी का पूरा नाम—

पता :—

**राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संबर्ग में अल्पकालीन अवधि के शिक्षण के  
लिए विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र**

1. विज्ञापन संख्या—.....
2. आवेदित विकास खण्ड का नाम ..... जनपद .....
3. आवेदित विषय का नाम : ..... शाखा—महिला / सामान्य .....
4. अन्यथा का नाम : ..... लिंग: महिला / पुरुष .....
5. पिता / पति का नाम : .....
6. जन्मतिथि : (अंकों में).  
(शब्दों में).....
7. दिनांक 01—जुलाई, 2014 को आयु : वर्ष ..... माह ..... दिन .....
8. राजाखण्ड राज्य के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संख्या व दिनांक .....  
(प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
9. गृह जनपद : .....
10. पत्र व्यवहार का पता : .....

पासपोर्ट राइज  
की नवीनतम  
स्वप्रमाणित फोटो  
वस्ता करें

11. स्थाई पता :

12. सम्बन्धित विकासखण्ड में निवासरत रहने का साक्ष्य/प्रमाण .....  
(सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

13. जाति (अनुजाति, अनुसंचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग).  
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

14. फोन नं0 ..... मोबाइल नं0 : .....

15. शैक्षिक योग्यता :—(समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधियों की छायाप्रतियाँ संलग्न करें)

प्र०	परीक्षा का नाम	विषय	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक
1	हाइरेक्यूल					
2	इंटरमीडिएट					
3	स्नातक					
4	स्नातकोत्तर					
5	प्रशिक्षण (वी0एडो/ एल0टी0)	लिखित क्रियात्मक				

### घोषणा

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....

घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि :-

1. मेरे द्वारा प्रवक्ता पद पर अल्पकालीन अवधि में शिक्षण हेतु विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था विषयक निर्गत समर्त शासनादेश व्यानपूर्वक पढ़ लिये गये हैं तथा इस संदर्भ में जो भी नियम लागू होंगे, वह मुझे पूर्णतया मान्य हैं।
2. मेरे द्वारा प्रदेश के एक मात्र उक्त निवासरत विकास खण्ड में ही विजिटिंग शिक्षक हेतु आवेदन किया गया है।
3. उपरोक्त आवेदन पत्र में मेरे द्वारा सभी प्रयिक्तियाँ सही व सत्य भरी गयी हैं। यदि भविष्य में उपरोक्त लिखित कोई भी जानकारी या तथ्य मिथ्या या गलत अथवा फर्जी पाए जाते हैं या मैं कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पाता/पाती हूँ या प्रमाण पत्र में कोई भी त्रुटि हो, तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये तथा मेरा नाम विजिटिंग शिक्षकों हेतु गठित पूल सूची से पृथक करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. विजिटिंग शिक्षकों हेतु गठित पूल सूची में चयन होने की दशा में मेरे द्वारा निर्धारित अनुबन्ध प्रस्तुत किया जायेगा एवं अनुबन्ध की शर्तों का पालन किया जायेगा।

दिन: १०.०८.२०२३

संलग्नक: .....

हस्ताक्षर—

अभ्यर्थी का पूरा नाम—

पता :—